गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड v.महाकाली भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड (यूनिट 2) [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

ए.

(i) बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 20.01.2020 के फैसले और आदेश के खिलाफ अपील का निर्देश दिया जाता है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीगण (मूल रिट याचिकाकर्ताओं) द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश से व्यथित पक्ष को मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार इसे चुनौती देनी होगी।उक्त मामले में, वर्तमान प्रत्यर्थी नं।1 आई. बी. ई. एक्स. इंटीग्रेटेड बिजनेस एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (मूल प्रत्यर्थी नं.1– आपूर्तिकर्ता) ने अपीलार्थीगण के खिलाफ अपने बकाया की वसूली के लिए सुविधा परिषद से संपर्क किया था।अपीलार्थीगण परिषद के समक्ष उपस्थित हुए और इस आधार पर संदर्भ की स्थिरता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति जताई कि पक्षों के बीच निष्पादित समझौते में एक मध्यस्थता खंड निहित था।

बी.

सी.

डी.

(ii) उक्त प्रारंभिक आपत्ति को सुविधा परिषद द्वारा दिनांकित 20.12.2014 आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।इसके बाद परिषद उस संदर्भ के साथ आगे बढ़ी जिसमें अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी आई. बी. ई. एक्स. द्वारा किए गए दावे के गुण-दोष पर अपना जवाब दाखिल किया और सुविधा परिषद ने अंततः आई. बी. ई. एक्स. द्वारा दायर उक्त संदर्भ की अनुमति देते हुए आई. डी. 1 पर एक पुरस्कार पारित किया। उक्त निर्णय के साथ-साथ सुविधा परिषद द्वारा पारित पहले के आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थीगण ने दो रिट याचिकाएं दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश के माध्यम से दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि जब सुविधा परिषद ने मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन किया था और एक निर्णय पारित किया था, तो पीड़ित पक्ष का उपाय मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 का सहारा लेना होगा।

ई.

एफ.

(iii) जैसा कि पहले कहा गया था, मध्यस्थ के रूप में कार्य करने वाली सुविधा परिषद/संस्थान/केंद्र के समक्ष कार्यवाही मध्यस्थता अधिनियम, 1996 द्वारा शासित होती है

और इसलिए ऐसी परिषद/संस्थान/केंद्र द्वारा पारित किसी भी आदेश या पुरस्कार को मध्यस्थता अधिनियम के अनुसार चुनौती दी जानी चाहिए। इसलिए अपील खारिज की जानी चाहिए और खारिज कर दी जानी चाहिए।

जी.

एच.

(i) भारत संघ द्वारा दायर अपील 2019 के एल. पी. ए. संख्या 42 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है।जहाँ तक अपील के तथ्यों का संबंध है-अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी ने सभी यू. टी. एस., पी. आर. एस. और यू. टी. एस.-सह-पी. आर. एस. स्थानों पर सभी उपकरणों और मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक (सी. सी. एम.)/यात्री विपणन (पी. एम.)/पूर्वी रेलवे के नियंत्रण वाले स्थान पर सभी उपकरणों के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए एक समझौता किया था।जब पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, तो प्रत्यर्थी ने समझौते वाले मध्यस्थता खंड को लागू करने के बजाय, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18 के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद से संपर्क किया।सुलह प्रक्रिया विफल होने के बाद, सुविधा परिषद ने एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पक्षों के बीच विवाद को दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र को भेज दिया।अपीलार्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 की रिट याचिका संख्या 2273 के रूप में रिट याचिका दायर करके उक्त आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि उक्त आदेश किसी भी अधिकार क्षेत्र के बिना था, और अन्यथा भी प्रत्यर्थी को एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था और इसलिए, प्रत्यर्थी एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत आपूर्तिकर्ता नहीं होने के कारण उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं थे।दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने उक्त याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 24 में निहित प्रावधानों के आधार पर उक्त अधिनियम के प्रावधान किसी भी अन्य कानून या साधन में असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे और इसलिए, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18 (3) के प्रावधान मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 7 के संदर्भ में मध्यस्थता समझौते के बावजूद लागू होंगे।उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी थी, जिसने दिनांक 1 के विवादित आदेश द्वारा इसे खारिज कर दिया था।पीड़ित अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1137

गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड v.महाकाली भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड (यूनिट 2) [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

ए.

((ii) निर्णय के पूर्व भाग में हमारे द्वारा लिए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि पक्षों के बीच समझौते में एक मध्यस्थता खंड के बावजूद, यदि एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 उन पर लागू होता है, तो सुविधा परिषद के पास धारा 18 (3) के तहत या तो मामले को मध्यस्थता के लिए लेने या मामले को किसी भी संस्था या केंद्र को वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए मध्यस्थता के लिए भेजने की शक्ति, अधिकार क्षेत्र और अधिकार है, एक बार सुविधा परिषद के समक्ष सुलह की कार्यवाही विफल हो जाने के बाद।जैसा कि पहले अभिनिर्धारित किया गया था, सुविधा परिषद या संस्था या केंद्र जिसे एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18 (3) के तहत विवाद भेजे गए हैं, वह विवादों का निर्णय करने के लिए एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण होगा जैसे कि ऐसा मध्यस्थता मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 7 (1) के तहत निर्दिष्ट मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में था और तदनुसार उसे अपनी अधिकारिता पर शासन करने का अधिकार होगा।मामले के उस दृष्टिकोण में, वर्तमान अपील खारिज की जानी चाहिए और तदनुसार, खारिज कर दी जाती है।

बी.

सी.

डी.

(i) अपील 2019 के एल. पी. ए. संख्या 1667 में गुजरात उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 24.07.2020 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती है, जिसमें खंड

पीठ ने एल. पी. ए. को खारिज करते हुए कहा कि प्रत्यर्थी संख्या 2-एम./एस. एक्वाफिल पॉलिमर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड-आपूर्तिकर्ता ने एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 18 (1) के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1-एम. एस. एम. ई. आयुक्तालय-सुविधा परिषद को सही आवेदन दिया था, और सुलह प्रक्रिया विफल होने पर, सुविधा परिषद के पास पक्षों के बीच विवादों को प्रत्यर्थी संख्या 3-गुजरात वाणिज्य और उद्योग मंडल को भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

ई.

एफ.

(ii) मामले के तथ्यों को मोटे तौर पर बताया गया है कि अपीलकर्ता-जेआईटीएफ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी जिसने गुवाहाटी के तहत अपीलकर्ता के पक्ष में जारी आदेश के संबंध में उत्तरदाता संख्या 2-मेसर्स एक्वाफिल पॉलिमर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और एक विनटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त उद्यम के साथ समझौता किया था।

जी.

एच.

जल आपूर्ति परियोजना।संयुक्त उद्यम ने समझौते के अनुसार अपना काम नहीं किया और इसलिए, अपीलार्थी ने दिनांक 08.01.2018 के नोटिस द्वारा अनुबंध को समाप्त कर दिया। समझौते में निहित मध्यस्थता खंड को ध्यान में रखते हुए, संयुक्त उद्यम ने 08.02.2018 दिनांकित पत्र के माध्यम से पक्षों के बीच विवादों पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नाम का प्रस्ताव रखा।उक्त पत्र के जवाब में, अपीलार्थी ने दिनांकित 14.02.2018 पत्र के माध्यम से जवाब दिया कि मध्यस्थता के प्रासंगिक खंड के अनुसार, केवल अपीलार्थी को मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार है और ऐसा अधिकार संयुक्त उद्यम के लिए उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, अपीलार्थी ने सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया।अपीलार्थी द्वारा नियुक्त कथित मध्यस्थ ने पक्षों को प्रारंभिक सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया, और उस स्तर पर, प्रत्यर्थी नं। 2, अर्थात, संयुक्त उद्यम के घटक ने एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों को लागू करते हुए प्रतिवादी संख्या 1-सुविधा परिषद के समक्ष एक आवेदन दायर किया।प्रत्यर्थी संख्या 1-

सुविधा परिषद ने सुलह की प्रक्रिया शुरू की, हालांकि, वही विफल होने के बाद, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरदाता संख्या 3-गुजरात चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को विवादों को संदर्भित किया।उक्त आदेश को अपीलार्थी ने गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके चुनौती दी।एकल पीठ ने अपने दिनांकित 09.09.2019 आदेश के माध्यम से उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया।पीड़ित अपीलार्थी ने एल. पी. ए. को प्राथमिकता दी, जिसे डिवीजन बेंच द्वारा दिनांकित 24.07.2020 आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ वर्तमान अपील दायर की गई है।(iii) सुविधा परिषद के मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के अधिकार क्षेत्र पर एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 के प्रबल प्रभाव के संबंध में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे और प्रस्तुतियाँ, एक समझौते में प्रवेश करने के लिए पक्षों की स्वायत्तता, वैधानिक प्रावधान,

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

यहाँ ऊपर चर्चा की गई है और निर्णय लिया गया है जिन्हें दोहराने या दोहराने की आवश्यकता नहीं है।तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि सुविधा परिषद को दिया गया संदर्भ ए होगा

एच.

जिन पक्षों पर एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 लागू है, उनके बीच एक स्वतंत्र मध्यस्थता समझौते के बावजूद बनाए रखा जा सकता है और ऐसी परिषद एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उप-धारा (2) के तहत आगे बढ़ने के साथ-साथ एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने या एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 18 (3) के तहत विचार किए गए संस्थान या केंद्र को विवादों को संदर्भित करने का भी

हकदार होगी।जैसा कि पहले कहा गया था, मध्यस्थता न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करने वाली ऐसी सुविधा परिषद/संस्थान/केंद्र के पास मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 16 के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र में निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा।मामले के उस दृष्टिकोण में, वर्तमान अपील भी खारिज होने के योग्य है और तदनुसार, खारिज कर दी जाती है।

बी.

सी.

36. उपरोक्त परिसर में, (I) सी. ए. No.of 2022 (@एस. एल. पी. (सी) 2020 की संख्या 12884) को खारिज कर दिया जाता है,

डी.

(II) C.A.No। 2018 का 127 अनुज्ञात है, (III) 2013 का सी. ए. सं. 6167 अनुज्ञात है,

(IV) सी. ए. No.of 2022 (2018 का एस. एल. पी. (सी) संख्या 31227) का निपटारा किया गया है,

ई.

(V) सी. ए. No.of 2022 (@एस. एल. पी. (सी) 2020 की संख्या 7375) को खारिज कर दिया गया है,

(VI) सी. ए. No.of 2022 (@एस. एल. पी. (सी) 2021 की संख्या 2135) को खारिज कर दिया गया है और

(VII) सी. ए. No.of 2022 (@एस. एल. पी. (सी) 2021 की संख्या 6166) को खारिज कर दिया गया है।

एफ.

अंकित ज्ञान

अपीलों का निपटारा किया गया।

(सहायकः प्रियांशु अग्रवाल, एलसीआरए)

जी.

एच.